176

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 359–दो/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 10–02–2015 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नटेरन, जिला–विदिशा के प्रकरण क्रमांक 07/अपील/2013–14

.....

अतुल कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,
निवासी– ग्राम सेऊ, तहसील–नटरेन,
जिला–विदिशा, (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1– देवेन्द्र कुमार स्व. श्री कोमल प्रसाद
2– विनोद कुमार स्व. श्री कोमल प्रसाद
3– दीपक कुमार स्व. श्री कोमल प्रसाद
निवासीगण– ग्राम सेऊ, तहसील–नटरेन,
जिला–बिदिशा, (म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 18-11-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नटेरन जिला–विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–02–2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सेऊ तहसील नटेरन जिला–विदिशा में स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 504/1 रकबा 8.143 है0 का विधिवत् बंटवारा एवं नामांतरण पंजी क्रमांक 82 पारित आदेश दिनांक 01.12.89 से किया गया था। इसमें आवेदक को बटवारे में खसरा क्रमांक 504/1 रकबा 6.270 है0, भूमि प्राप्त हुयी थी। उक्त बटवारा नामांतरण के

विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी नटेरन जिला–विदिशा के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 07/2013–14 पर पंजीबद्ध किया गया। जो कि वर्तमान समय में विचाराधीन है, इसी प्रकरण में आवेदक का ओर से एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि नामांतरण आदेश को शून्य कराये जाने हेतु अनावेदकगण ने स्वत्व धोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु सिविल वाद क्रमांक 16ए/14 गंजबासोदा में प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय के अन्तिम निराकरण तक नामांतरण की कार्यवाही स्थगित रखी जाये । क्योंकि सिविल न्यायालय का निर्णय राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, नटेरन द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विधिवत् विचार किये बिना ही पारित आदेश दिनांक 10.02.2015 से आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं पाये जाने से अस्वीकृत किये जाने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अनावेदकगण द्वारा दीवानी न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा बावत वाद प्रस्तुत किया है। अतः ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही को स्थगित रखे जाने का अनुरोध आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किया गया था, जिसके संबंध में न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये थे। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विधिवत विचार किये बिना ही आदेश पारित किया गया। नामांतरण कार्यवाही से न तो स्वत्व का अर्जन होता है और न ही नामांतरण से स्वत्व समाप्त होते है। ऐसी स्थिति में स्वत्वों के अंतिम निराकरण तक राजस्व न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित किया जाना आवश्यक था। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत प्रक्रिया का पालन कर नामांतरण एवं बटवारा का आदेश पारित किया था, जिसके संबंध में उभयपक्ष सहमत थे। ऐसी स्थिति में उक्त आपसी बटवारा आदेश अपील योग्य ही नहीं था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि व्यवहार न्यायालय के समक्ष स्वत्व घोषणा के संबंध में वाद अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है एवं अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील उनके द्वारा ही पेश की गई है। ऐसे मेंज ब उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष वर्ष 2013 में अपील प्रस्तुत कर दी गई थी, तब वर्ष 2014 में सिविल वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी नहीं थी। किन्तु उनके द्वारा जब सिविल वाद प्रस्तुत किया गया है तो ऐसी स्थिति में सिविल वाद के अंतिम निराकरण तक

राजस्व न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित किया जाना चाहिये था। एक ही वाद बिन्दु के संबंध में दो अलग–अलग न्यायालयों में कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस वैधानिक तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया है वह नितांत अवैध एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अनावेदकगण तीन सगे भाई है तथा स्व0 श्री कोमल प्रसाद के पुत्र है। अनावेदकगण के नाम ग्राम सेऊ, तहसील–नटेरन, जिला–विदिशा में खसरा नं0 504/1 रकबा 8.143 है0, लगानी 43 रुपये 68 पैसे का खाता है। जो खसरा–खतौनी में तीनों भाईयों के नाम बराबर–बराबर भूमि स्वामी इंद्राज रहा है तथा वर्तमान में अनावेदकगण मौके पर काबिज होकर खेती करते चले आ रहे है। आवेदक अतुल कुमार के पिता राजेन्द्र कुमार ने विधि विरूद्ध पंजी पर आवेदक के नाम बटवारा करा कर, आवेदक के नाम खसरा नं0 504/1 में से रकबा 6,270 है0 करा दिया। मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता में कहीं भी नामांतरण पंजी पर विभाजन की कोई प्रक्रिया नहीं है, न ही नामांतरण पंजी पर विभाजन होता, पंजी केवल खसरों में इन्द्राज करने का एक रजिस्टर है। इस रजिस्टर के अलावा भू–राजस्व संहिता के अलग से कोई भी प्रक्रिया नहीं है, न ही पंजी पर विभाजन का कोई अधिकार है। दिनांक 01.12.1989 की इस पंजी पर न तो कोई अनावेदकगण ने आवेदन प्रस्तुत किया न सहमति दीं और न ही पंजी पर अनावेदकगण ने हस्ताक्षर किये है, न कथन दिये है, न विज्ञप्ति जारी हुई न ही विज्ञप्ति के संबंध में कोई उल्लेख है। न ही चौपाल या ग्राम में कहीं भी विज्ञप्ति या प्रकाशन के संबंध में कोई सूचना जारी हुई । दिनांक 01.12.1989 को आवेदक अतुलकुमार केवल चौदह वर्ष का था और अतुलकुमार की जन्मतिथि मतदाता पहचान पत्र में 20.10.75 अंकित है तथा इस पहचान पत्र से ही प्रत्यर्थी वक्त नामांतरण नाबालिग था। तब बालिक बता कर कराया गया उक्त विभाजन प्रारंभ से ही शून्य है, क्योंकि आवेदक स्वयं नाबालिग होने से विभाजन में बगैर सरपरस्त नियुक्त किये कोई कार्यवाही करने सक्षम ही नहीं था। अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अनावेदकगण मौके पर काबिज है तथा आवेदक के पिता श्री राजेंन्द्रप्रसाद शर्मा राजस्व कागजों की देख–रेख करते थे, उन्हीं के पास कागजात रहते थे। इस कारण अनावेदकगण को कागजात देखने का काम नहीं हुआ। कथित नामांतरण पंजी की

जानकारी दीवाली पश्चात् अनावेदकगण को प्राप्त हुई। दिनांक 13.11.2013 को विदिशा जिलाध्यक्ष कार्यालय में नामांतरण पंजी नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 23.11.2013 को नकल प्राप्त हुई। इसलिये जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । आवेदक, अनावेकदगण के सह–कृषक नहीं है, न ही हिन्दू विधि अनुसार अनावेदकगण भूमि विभाजन कराने का अधिकारी है। धारा 6 व 8 हिन्दू उत्तराधिकार विधान के अनुसार भी आवेदक विभाजन कराने का अधिकारी नहीं है। इस संबंध में अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टांत पेश किये है जिसमें वर्ष 1994 राजस्व निर्ण 302 के अनुसार पंजी का विभाजन नहीं किया जा सकता । विभाजन पंजी में विभाजन के नियम जो संहिता की धारा 178 में दिये गये उनमें नियम 4 व 6 का पालन नहीं किया है। कोई आपत्ति आमंत्रित नहीं की गई । 1980 राजस्व निर्णय–306, विभाजन सूची का प्रकाशन नहीं हुआ। 1993 राजस्व निर्णय 289, प्रकरण में नामांतरण और विभाजन का एक साथ पंजी पर आदेश दिया गया है। इसलिये न्याय दृष्टांत 1995 राजस्व निर्णय 27 एवं 1994 राजस्व निर्ण 102, अनुसार उक्त आदेश प्रारंभ से ही शन्यवत है। संहिता की धारा 44 के तहत विलंब क्षम्य योग्य हैं । अवलोकनीय है– 1996 राजस्व निर्णय–306, इस प्रकरण में अनावेदकगण को कोई सूचना जारी नहीं हुयी। अनावेदकगण के पंजी पर हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में अपील करने के पूर्व अनावेदकगण को जानकारी नहीं दी गई, तब ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील समय वर्जित नहीं होगी। अंत में अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा निगरानी निरस्त करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया हैं

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि नामांतरण आदेश को शून्य कराये जाने हेतु अनावेदकगण ने स्वत्व धोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु सिविल वांद क्रमांक 16ए/14 गंजबासोदा में प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय के अन्तिम निराकरण तक नामांतरण की कार्यवाही स्थगित रखी जाये । क्योंकि सिविल न्यायालय का निर्णय राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है। जिस पर अनावेदकगण ने जवाब प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक ने विधि के विरूद्ध पंजी पर भूमि का अंतरण बता कर नामांतरण कराया है। इसी निर्णय के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी नटेरन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। प्रस्तुत प्रकरण अभी

अंतिम स्टेज पर है, विचारण दीवानी न्यायालय से ही निराकृत नहीं हुआ है, इस कारण प्रस्तुत प्रकरण में नामांतरण की कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती।

6/ विचारण न्यायालय के पंजी पर पारित आदेश की अपील अनुविभागीय अधिकारी, नटेरन में प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी, नटेरन में प्रकरण 27.11.2013 से प्रचलन में थी। दीवानी न्यायालयों में आवेदन दिनांक 24.01.2014 को स्वत्व घोषणा बावत वाद प्रस्तुत किया गया। राजस्व न्यायालय द्वारा स्वत्त्व की घोषणा नहीं की जाती, अपितु स्वत्व की प्रविष्टि पटवारी अभिलेख में की जाती है। न्यायालय में न तो स्वत्व का अर्जन होता है और न ही न्यायालय से स्वत्व समाप्त होते है। इस संबंध में 2006 राजस्व निर्णय–189 दुलारी बाई विरूद्ध नारायण अवलोकनार्थ है, जिसमें राजस्व मण्डल द्वारा यह मत प्रतिपादित किया है कि यदि सिविल वाद लंम्बित हो तो भी नामांतरण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी, नटेरन ने विचारोपरांत विधिक आदेश पारित किया है।

7/ अतएव ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर मेरे मतानुसार अनुविभागीय अधिकारी नटेरन ने अपने प्रकरण क्रमांक 7/अपील/2013–14 में जो नामांतरण का आदेश दिनांक 10.02.2015 को अनावेदकगण के हित में पारित किया है, वह उचित है। मैं अनुविभागीय अधिकारी के इस निर्णय से सहमत हूँ । अतः अनुविभागीय अधिकारी नटेरन के प्रकरण क्रमांक 7/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2015 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। परिणाम स्वरूप निगरानी खारिज की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखित रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर